संख्या-146/2021/573(1)/तेइस-14-2021-21आ0बु0वि0नि0/2018

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बांदा, झांसी व हमीरपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021**

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद- बांदा, झांसी व हमीरपुर की 13 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, झांसी के पत्र संख्या-348/224-बु0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 15.03.2021, पत्र संख्या-347/223-बु0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 15.03.2021, पत्र संख्या-355/240-बु0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 22.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बांदा के पत्र संख्या-493/बी-2, दिनांक 03.02.2021 एवं मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर के पत्र संख्या-149/बु0वि0नि0रा0/2020-21, दिनांक 03.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-बांदा, झांसी एवं हमीरपुर की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा, झांसी व हमीरपुर की 13 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अगली/अंतिम किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 12,64,24,000.00 (रूपये बारह करोड़ चौसठ लाख चौब्बीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत् है-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत कटेरा देहात की टुडियन खिरक से बगवारी खिरक होते हुये बुदरउ खिरक की ओर सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-झांसी**	68/2019/21/23-14-2019-19आ0बू0वि0नि0/2018, दिनांक 18.02.2019	2.40	127.54	51.01	76.53
2	ग्राम पंचायत कटेरा देहात की टुडियन खिरक से रेवरन खिरक तक सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-झांसी**	तदैव	1.36	63.26	50.60	12.66
3	निवि से खिरियाराम होते हुए सिमथरी सम्पर्क मार्ग। **जनपद-झांसी**	69/2019/20/23-14-2019-23आ0बू0वि0नि0/2018, दिनांक 18.02.2019	5.00	371.52	222.90	141.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	ग्राम नंदसिया से ग्राम नंदखास सम्पर्क मार्ग। **जनपद-झांसी**	तदैव	2.50	152.11	91.26	56.74
5	कैरी से बछौंधा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बांदा**	120/2019/224/23-14-2019-21आ0बू0वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019	4.00	363.34	36.33	210.00
6	बबेरू नहर पटरी से पावर हाउस होते हुए ओरन रोड नहर पटरी का डामरीकरण सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बांदा**	10/2019/1366/23-14-2018-08आ0बू0वि0नि0/2018, दिनांक 01.01.2019	0.80	75.07	30.02	45.05
7	ग्राम खण्डेह से फतेपुरवा तक मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	77/2019/26/23-14-2019-17आ0बू0वि0नि0/2018टी0सी0-I, दिनांक 23.02.2019	6.00	415.08	269.79	145.29
8	जलाला गहतौली होते हुये ग्राम सुरौली बांदा सीमा तक मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	6.00	429.47	279.07	150.30
9	पत्योरा से बड़ा कछार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	5.10	371.96	92.98	210.00
10	बिलौटा से गोकुल का डेरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	3.40	290.93	247.28	43.65
11	कलौलीतीर से हेलापुर होते हुए अमिरता मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	2.40	247.80	207.23	40.57
12	कानपुर सागर मार्ग से सौखर मनासर बाबा होते हुये देवगांव तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	3.30	241.12	156.71	84.41
13	ग्राम डामर से कुतुबपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-हमीरपुर**	तदैव	2.50	200.38	130.23	30.00
			44.76	**3349.58**	**1865.41**	**1246.24**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-146/2021/573(1)(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा एवं आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।